फर्द अहकाम

नियम 26

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

कालूराम बनाम मुंशी आदि

मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 21/29.06.2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील आदि
06-20	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री कृष्णलाल यादव के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके ग्राम भांगवा के वर्तमान खाता संख्या 3/3 के खसरा नम्बर 163 की 8.232 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 मुंशी का 108-1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 18/21 के खसरा नम्बर 96 की 2.681 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 197 की 3.591 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 208 की 0.898 हैक्टेयर कुल 7.170 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 मुंशी का 249 हिस्सा में प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 19.08.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.08.2020 को पेश हो। Sd/- उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	
19/08/20	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते तलबी दिनांक 26.10.20 को पेश हो। Sd/-	
26/10/20	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से प्रेमप्रकाश झोरड़ एड. ने गत पेशी [illegible] में वकालतनामा पेश [illegible] तलबी शेष दिनांक [illegible].2020 को पेश हो। Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaljit Shivran
Date: 2025.09.24 15:14:28 IST
Reason: Self Attested

CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी स०। दिनांक 22/7/24 को पेश हो। [signature] 13/05/24
22/7/24	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.. [illegible] | जवाब .. दिनांक 8.10.24 को पेश हो। [signature]
8/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 25.3.25 को पेश हो। [signature]
25/3/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 30/5/25 को पेश हो। [signature]
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी स०। दिनांक 22/7/25 को पेश हो। [signature]
22/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 12/9/25 को पेश हो। [signature]
12/9/25	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। चूंकि प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूलवाद निस्तारित होने के कारण प्रार्थना-पत्र में दिनांक 27.6.20 को [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त [illegible] स्तर पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली नम्बर से [illegible] को भाग [illegible] तक्मील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

(Kalpit Shivran) [stamp: सिविल न्यायाधीश] भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:14:28 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner